

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में

राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 15-6-24 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा..... मौजा नं०..... खाता सं०..... प्लॉट सं०.....

रकबा..... किस्म..... खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि

तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष..... तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं०..... को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

(अ.स. 226/11-12)

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाल चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पाल्ना, इलाहाबाद

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म ज
जी. व. श्री. देवा	जौलपुरी	183	43	-	10.51	जमीन	पंजी II के
पिता बुद्ध देवी							लेन देवी

निकाली नहीं जा सका।

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- परती

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी II में दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

पाल्ना पंजी II में दर्ज नहीं है।
अधिकृत द्वारा दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिवारित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

पंजी II में दर्ज नहीं है।
अधिकृत द्वारा जमाबंदी
कायम करने का अधिकार नहीं
मिले।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

NA

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

NA

अवैध जमाबंदी की जाँच किसा राजस्व अभिलेख से की गई है :-
(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वाधित रिकॉर्ड से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंसीयसी पंजी से

(ग) वाधित-खारिज / भू-उपसाधारण / सामांतरण पंजी से

अंचल कार्यलय
उपलब्ध-चालु पंजी से

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- **नहीं**

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- **नहीं**

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :- **नहीं**

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड -बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- **नहीं**

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-
महोदय, मेरा जवाब है कि खण्ड 43 रिकॉर्ड, पंजी में दर्ज नहीं है। 10/5/10 अंश का मांग वीणभरी
वैध था बुझारी के नाम से दर्ज है। 54/01 पर दर्ज है, मांग पंजी में रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।
आज भी दर्ज नहीं किया जा सका। यदि ओरल जवाब खाने की है, तो जमीनदार से लेवाया
दस्तावेज की मांग करने हेतु अंचल कार्यलय में नोटिस किया गया अंचल कार्यलय में अपेक्षाकृत जमीनदार
जिना गया कि जमीनदार जवाब कोई भी दस्तावेज नोटिस के उपरान्त मांग जारी बंसीयों द्वारा जमा
नहीं किया गया। जमीनदार जमीन का मांग करने का आधार एवं किसी समय पटवारी जवाब
पंजी में भी दर्ज है कि प्रमाणित दस्तावेज में दर्ज नहीं है। इसी वजह से यह मांग सहेबापट जमीन
होता है। अतः B.R. Act की धारा 4(h) की बजाय किया जा सकता है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-
राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का
जाँच किया, नहीं पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने की
अनुशंसा किया जा सकता है।

अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदा, अपर समाहर्ता, उपायुक्त,
छत्तरपुर। छत्तरपुर। पलामू। पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री गणेश देवराय पट्टा उडु महीर
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 01 पृष्ठ सं. 54 पर कायम

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>जोताई</u>	<u>183</u>	<u>43</u>	<u>—</u>	<u>10.51 ए</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी में दर्ज नहीं है
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- श्री गणेश देवराय पट्टा
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- दर्ज नहीं है
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) :-

अंचल गरीब लघु उद्यमिता चालु पंजी में

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>01</u>	<u>515696</u>	<u>01/02/1974</u>	<u>1974-75</u>
<u>02</u>	<u>592783</u>	<u>9/02/1975</u>	<u>1975-76</u>
<u>03</u>	<u>224219</u>	<u>4/02/1976</u>	<u>1976-1977</u>
	<u>012362</u>	<u>20/02/1977</u>	<u>1977-78</u>

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 226..... / 20/6/17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम वीरग महराज वगैरे

गाम गोरगाईडीह माला 27/8/17

विषय - जमाबंदी

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा गोरगाईडीह थाना नं० 83 खाता सं० 42..... खेसरा नं०..... रकबा 18.57/..... से संबंधित आपके नाम से 80 नं०..... के पंजी-II भाग के पृष्ठ 5-4/84 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 27.6.2024 को समय 11.00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूत प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनब रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आप कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुकर दी जायेगी।

① सूची-1 वादक
नौटिका लामोहर खत्याल
वापस किया। महेन्द्र कुमार पाख्खा
(8/5/24)



अंचल अधिकारी
उत्तरपुर।